



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 04 मई, 2006 ई0

बैशाख 14, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 734/विधायी एवं संसदीय कार्य/2006

देहरादून, 04 मई, 2006

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 22 अप्रैल, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 09, सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2006

(अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2006)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) का अग्रत्तर संशोधन करने के लिए—

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में यह निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

1-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

(2) यह 2005 के नवम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा, सिवाए खण्ड 4 के तथा खण्ड 8 के, जो क्रमशः सन् 2005 के जून के प्रथम दिन तथा सन् 2006 के मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी।

अध्याय दो

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन)
अधिनियम, 1980 का संशोधन

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
23, वर्ष 1980 में
सामान्य संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द "सचिव" जहां भी आया हो, जिसके अन्तर्गत परिभाषा भी है, के स्थान पर शब्द "सचिव/प्रमुख सचिव" रख दिए जायेंगे।

धारा 4 का
संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "सात हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का
संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 5 में—

(क) उपधारा (1) में शब्द छियानवें हजार रुपये के रेलवे कूपन के बराबर की धनराशि डीजल व्यय हेतु तथा शेष धनराशि "चौबीस हजार रुपये के रेलवे कूपन" के स्थान पर शब्द "एक लाख बीस हजार रुपये के रेलवे कूपन के बराबर की धनराशि डीजल व्यय हेतु तथा शेष धनराशि "तीस हजार रुपये के रेलवे कूपन" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द "बीस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 13 का
संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्

"13 (1) प्रत्येक सदस्य जब वह उत्तरांचल परिवहन निगम की बस से, जिसके अन्तर्गत वातानुकूलित या डीलक्स बस भी है, उत्तरांचल परिवहन निगम की बस द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री कर का भुगतान किए बिना किसी भी समय यात्रा करने के लिए विहित रीति से निःशुल्क असंक्रमणीय बस पास का हकदार होगा;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधा का उपयोग सदस्य द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिए भी किया जा सकता है;

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो अध्याय आठ के अधीन पेंशन का हकदार है, उत्तरांचल परिवहन निगम की बस द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री कर का भुगतान किए बिना किसी भी समय यात्रा करने के लिए विहित रीति से निःशुल्क असंक्रमणीय बस पास का भी हकदार होगा;

परन्तु यह कि यदि उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वातानुकूलित या डीलक्स बस में यात्रा करता है तो उसे किराये की अधिक धनराशि का वहन स्वयं करना होगा।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट पास का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिए भी किया जा सकता है।"

- 6-मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में शब्द "तीन सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे। धारा 15 का संशोधन
- 7-मूल अधिनियम की धारा 15-क में शब्द "दो हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द छः हजार रुपये" रख दिये जायेंगे। धारा 15-क का संशोधन
- 8-मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् धारा 16 की उपधारा (2) का संशोधन
- "(2) जहां किसी सदस्य को किसी आवास की व्यवस्था न की गयी हो, वहां वह तीन सौ रुपये प्रतिमास आवास भत्ता पाने का हकदार होगा और 30 अप्रैल, 2006 तक भुगतानित मकान किराया भत्ते की वसूली नहीं की जायेगी।"
- 9-मूल अधिनियम की धारा 18-क के खण्ड (क) में शब्द "दो हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "छः हजार रुपये" रख दिये जायेंगे। धारा 18-क का संशोधन
- 10-मूल अधिनियम की धारा 24 में- धारा 24 का संशोधन
- (क) उपधारा (1) में शब्द "दो हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।
- (ख) प्रथम परन्तुक में शब्द "दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।
- 11-मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1-क) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात्:- धारा 28 का संशोधन
- "परन्तु यह कि यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई सरकारी धन या सामान हो, चाहे वह उसके सदस्य रहने की अवधि का हो या उसके सदस्य न रह जाने की अवधि का हो, तो उसकी कटौती ऐसे व्यक्ति के पेंशन से की जायेगी।"

अध्याय तीन

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 का संशोधन

12-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (3) में शब्द "पांच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार रुपये" रख दिए जायेंगे।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of The Uttaranchal (Emoluments and Pension of the State Assembly Members, Ministers and Officers) (First Amendment) Act, 2006 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 09 of 2006).

No. 734/Vidhayee and Sansadiya Karya/2006
Dated Dehradun, May 04, 2006

NOTIFICATION

Miscellaneous

As Passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 22, 2006.

THE UTTARANCHAL (Emoluments and Pension of the State Assembly Members, Ministers and Officers) (First Amendment) Act, 2006

(UTTARANCHAL ACT No. 09 OF 2006)

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members, Emoluments and Pension) Act, 1980 and the Uttar Pradesh State Legislature (Officers and Allowances) Act, 1952 (as applicable to Uttaranchal)

AN

ACT

Be it enacted by the State Assembly in the Fifty-seventh year of the Republic of India as follows:--

Chapter I

Preliminary

Short title
and
Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal (Emoluments and Pension of the State Assembly Members, Ministers and Officers) (First Amendment) Act, 2006.

(2) It shall come into force on the 1st day of November, 2005 except section 4 and 8, which shall come into force on the 1st day of June, 2005 and 1st day of May, 2006 respectively.

Chapter II

Amendment of the Uttar Pradesh State Legislature (Members, Emoluments and Pension) Act, 1980

General
Amendments in
U.P. Act No. 23
of 1980

2. In the Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to in this chapter as the principal Act, for the word "Secretary" wherever occurring including definitions the words, "Secretary/Principal Secretary" shall be substituted.

Amendment of
section 4

3. In section 4 of the principal Act, for the words "Seven thousand five hundred Rupees" the words "Fifteen thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of
section 5

4. In section 5 of the principal Act--

(a) In sub-section (1) for the words "Expenses of diesel equivalent to that amount of Railway Coupon for Ninety six thousand rupees and the balance Twenty four thousand rupees as Railway Coupon," the words "Expenses of diesel equivalent to the amount of the Railway coupon for One lac twenty thousand rupees and the balance Thirty thousand rupees as Railway Coupon" shall be substituted.

(b) In sub-section (2) for the words "Twenty thousand rupees" the words "Thirty thousand" shall be substituted.

Amendment of
section 13

5. For section 13 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely--

"13 (1) Every member shall be entitled in the manner prescribed with a free non-transferable pass to travel at any place by the Uttaranchal Transport Corporation bus including air conditioned or deluxe bus without payment of the passenger tax due under any law for the time being in force;

(2) the facility referred to in sub-section (1) may also be availed by a member for taking one companion along with in the bus.

(3) Every person who is entitled to pension under chapter VIII shall be entitled in the manner prescribed with a free non-transferable pass to travel at any place by the Uttaranchal Transport Corporation bus without payment of the passenger tax due under any law for the time being in force;

(4) the pass referred to in sub-section (3) may also be used by such person for taking one companion along with him in the bus :

Provided that if a person referred to in sub-section (3) travels in air conditioned bus or a deluxe bus, he shall pay himself the excess amount of fare difference.

6. In section 15 of the principal Act, in sub section (1) for the words "Three hundred rupees" the words "Five hundred rupees" shall be substituted.

Amendment of section 15

7. In section 15-A of the principal Act, for the words "Two thousand five hundred rupees" the words "Six thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 15-A

8. For sub-section (2) of section 16 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted; namely--

Amendment of sub-section (2) of section 16

(2) Where a member has not been provided with any accommodation, he shall be entitled to an accommodation allowance at the rate of Three hundred rupees per month and paid house rent allowance upto April 30 2006 shall not be recovered."

9. In section 18-A of the principal Act, in clause (A) for the words "Two thousand rupees" the words "Six thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of 18--A

10. In section 24 of the principal Act--

Amendment of section 24

(a) In sub-section (1) for the words "Two thousand rupees" the words "Three thousand rupees" shall be substituted.

(b) In the proviso for the words "Two hundred fifty rupees" the words "Three hundred rupees" shall be substituted.

11. In section 23 of the principal Act, in sub-section (1-A) the following proviso shall be inserted at the end, namely--

"Provided that if any other Government dues are reported against such person whether it is for the period of the membership or for the period he is not to a member shall also be deducted from the pension of such person."

Chapter--III

Amendment of the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952

12. In section 4 of the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952, in sub-section (3) for the words "Five thousand rupees" the words "Ten thousand rupees" shall be substituted.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Secretary.